

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प.14(46)/गृह-10/2021

जयपुर, दिनांक:- 30 सितम्बर, 2021.

परिपत्र

यत् राज्य सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया है, कि जिला स्तर पर जघन्य अपराधों को नियंत्रित किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाये।

इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.र.रिपोर्ट/2-7(7)विविध/अभि/15 जयपुर दिनांक 23.12.2015 को अतिलिखित करते हुये, जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त | सदस्य |
| 3. लोक अभियोजक | सदस्य |
| 4. सहायक निदेशक अभियोजन | सदस्य सचिव |

उक्त समिति जिले में कानून व्यवस्था, अपराध व उनके विचारण में आने वाली कठिनाईयों/समस्याओं पर विचार करेगी एवं उनके निदान हेतु समुचित कदम उठायेगी। बैठक त्रैमासिक आयोजित की जायेगी।

आज्ञा से

(अनंद मिश्रा)
शासन सचिव गृह विधि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त.....।
4. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक रेंज।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर।
7. पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।


शासन सचिव गृह विधि